

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2012

SRS LIMITED

Regd. Office: "SRS Multiplex", Top Floor, City Centre, Sector-12, Faridabad, Haryana-121007

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 192A of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Passing of the Resolution by Postal Ballot) Rules, 2011, the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice dated 9th January, 2012 in respect to the Special Resolution proposed to be passed by Postal Ballot, along with the Postal Ballot Form and pre-paid Business Reply Envelope to its members on 10th January, 2012. The members are requested to note that the voting process through Postal Ballot commence from 11th January, 2012 and will remain open upto 9th February, 2012.

The last date for receipt of Postal Ballot Form from the members, indicating their assent or dissent to the proposed Special Resolution required to be passed under Section 61 of the Companies Act, 1956 (as detailed in notice) is Thursday 9th February, 2012 on or before 6:30 P.M. Postal Ballot Forms received thereafter shall not be valid. The members who do not receive Postal Ballot forms may apply to the Company and obtain a duplicate thereof.

By Order of the Board
For SRS Limited

sd/-

Place: Faridabad
Date: 10th January, 2012

(Navneet Kwatra)
C.O.O. & Company Secretary

जनसत्ता, दिल्ली, 11 जनवरी, 2012 9

एसआरएस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: "एसआरएस मल्टीप्लेक्स", ऊपरी तल,
सिटी सेंटर, सेक्टर-12, फरीदाबाद, हरियाणा-121007

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनीज (पोस्टल बैलट द्वारा प्रस्ताव पारित करना) नियमावली, 2011 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 192ए के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी ने पोस्टल बैलट प्रपत्र तथा पूर्व-प्रदत्त व्यावसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलट द्वारा पारित की जाने वाली प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में पोस्टल बैलट सूचना तिथि 9 जनवरी, 2012 के सदस्यों को प्रेषित करने के कार्य को 10 जनवरी, 2012 को पूरा कर लिया है। सदस्यों से आग्रह है कि वे यह ध्यान रखें कि पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया 11 जनवरी 2012 को शुरू होगी तथा 9 फरवरी, 2012 तक जारी रहेगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 61 के अंतर्गत पारित किए जाने के लिए वांछित प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव (सूचना में यथा वर्णित) के प्रति सहमति अथवा उनकी असहमति सहित सदस्यों से पोस्टल बैलट प्रपत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि वीरवार, 9 फरवरी, 2012 को 6.30 बजे अप. में या उससे पूर्व है। उसके बाद प्राप्त पोस्टल बैलट प्रपत्र वैध नहीं होगा। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलट प्रपत्र प्राप्त नहीं हो वे कम्पनी के पास आवेदन पर उसका डुप्लिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
एसआरएस लिमिटेड के लिए
हस्ता.

(नवनीत क्वात्रा)

स्थान: फरीदाबाद
तिथि: 10 जनवरी, 2012

सीओओ. एवं कंपनी सचिव